<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 47 / 2023

1 दाताराम पुत्र केशरराम।
2 जयसिंह पुत्र किशनलाल।
3 रणवीर पुत्र किशनलाल।
4 मनोज कुमार पुत्र किशनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती कमला पुत्री किशनलाल पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 श्रीमती सारा देवी पत्नी किशनलाल।
7 गोविन्द सिंह पुत्र श्योनाथ।
8 राकेश पुत्र श्रीचन्द।
9 सत्यवीर पुत्र जुगलाल समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सागर पुत्र पाला।
2 शीशराम पुत्र पाला।
3 इन्द्राज पुत्र श्योचन्द।
4 मूलचन्द पुत्र श्योचन्द।
5 श्रीमती शान्ति पत्नी थानाराम।
6 आशीष पुत्र हरिसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

7 पायल पुत्री हरिसिंह।

8 श्रीमती सुमित्रा पत्नी हरिसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

9 श्रीमती सुनिता पुत्री श्रीचन्द पत्नी नरेन्द्र।

10 श्रीमती जयश्री पुत्री श्रीचन्द पत्नी राकेश समस्त जाति जाट निवासीगण भाटीवाड़ तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

11 श्रीमती बिमला पत्नी श्रीचन्द जाति जाट निवासी भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

12 श्रीमती चन्द्रकला पुत्री जुगलाल पत्नी समदरसिंह।

13 श्रीमती सावित्री पुत्री जुगलाल पत्नी सरदाराराम समस्त जाति जाट निवासीगण बास बिशना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

14 श्रीमती कमला देवी पुत्री जुगलाल पत्नी रामवतार।

15 श्रीमती बिमला देवी पुत्री जुगलाल पत्नी ओमप्रकाश समस्त जाति जाट निवासीगण हांसलसर तहसील गुढ़ागोड़जी जिला झुंझुनू।

16 श्रीमती किताब पुत्री जुगलाल पत्नी प्रहलाद।

17 श्रीमती सुभिता देवी पुत्री जुगलाल पत्नी सुरेन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण निजामपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

18 जगुराम पुत्र हरनारायण।

19 श्रीमती जयकोरी पुत्री हरनारायण पत्नी नामालुम।

20 भागुराम पुत्र महादा।

21 जडाई पुत्री महादा।

22 श्रीमती सन्तोष पुत्री महादा।

23 कुरड़ाराम पुत्र दुलाराम।

24 राजवीर पुत्र दुलाराम।

25 सुरेन्द्र पुत्र दुलाराम।

26 सिलोचना पुत्री दुलाराम।

27 श्रीमती बनारसी पत्नी दुलाराम।

28 बिरजु पुत्र रामेश्वर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

29 नागरमल पुत्र रामेश्वर।
30 रमसिंह पुत्र रामेश्वर।
31 रतीराम पुत्र रामेश्वर।
32 सरबती पुत्री रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण कुलोद खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू।
33 जगदीश पुत्र सुखदेव।
34 महेन्द्र पुत्र सुखदेव।
35 विजय पुत्र सुखदेव।
36 सुमेर पुत्र सुखदेव।
37 राहुल पुत्र सुरेश समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
38 श्रीमती प्रियंका पुत्री सुरेश पत्नी सतीश जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
39 श्रीमती रेणु पुत्री सुरेश पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
40 श्रीमती सुमित्रा पत्नी सुरेश।
41 श्रीमती मनकोरी पत्नी सुखदेव।
42 जुगलाल पुत्र रामनाथ समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
43 बीरबल पुत्र भगवाना।
44 मोहरसिंह पुत्र बस्ती।
45 रामजीलाल पुत्र बस्ती।
46 प्रताप पुत्र हरफुल।
47 प्रदीप पुत्र हरफुल।
48 कुरड़ाराम पुत्र महावीर।
49 बुंटीराम पुत्र महावीर।
50 नरेश पुत्र गिरधारी।
51 गुडडु पुत्र गिरधारी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(शिविर झुन्झनू)

52 महेन्द्र पुत्र प्रहलाद।
53 कैलाश पुत्र प्रहलाद।
54 श्रीमती लाडो पत्नी प्रहलाद समस्त जाति जाट निवासीगण कुलोद खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू।
55 मनरूपप पुत्र चन्दगी।
56 नरेश पुत्र चन्दगी।
57 नविरा पुत्री चन्दगी।
58 श्रवणी पत्नी चन्दगी।
59 पाला पुत्री चन्दगी।
60 होशियार सिंह पुत्र ख्याली।
61 मुकेश पुत्र ख्याली।
62 मंजु पुत्री ख्याली।
63 कल्पना पुत्री ख्याली।
64 सुनिता पुत्री ख्याली।
65 प्रकाश देवी पत्नी ख्याली।
66 बजरंग पुत्र गणपत।
67 रामकुमार पुत्र गणपत।
68 अनिल पुत्र माणकचन्द।
69 अंकित पुत्र माणकचन्द।
70 मुन्नी पुत्री माणकचन्द।
71 शारदा पुत्री माणकचन्द।
72 लक्ष्मी पुत्री माणकचन्द।
73 सरिता पुत्री माणकचन्द।
74 इन्द्रा पत्नी माणकचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
75 श्योदान पुत्र श्योचन्द।
76/1 सुरेन्द्र पुत्र सुलतान।
76/2 सुभाष पुत्र सुलतान।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

76/3 महेन्द्र पुत्र सुलतान।
76/4 सरोज पुत्री सुलतान।
76/5 झण्डू पुत्र बीरबल।
76/6 बनवारी पुत्र बीरबल।
76/7 नेतराम पुत्र बीरबल समस्त जाति जाट निवासीगण झाझड़िया की ढ़ाणी तन छऊ तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।
77 महावीर पुत्र बजरंग।
78 रामवतार पुत्र बजरंग।
79 सज्जन पुत्र बजरंग।
80 कैलाश पुत्र बजरंग समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
81 रूघवीर पुत्र पन्नाराम।
82 रामवतार पुत्र पन्नाराम।
83 कमला पुत्री पन्नाराम।
84 नानची पुत्री पन्नाराम।
85 दारासिंह पुत्र बनवारी।
86 नरेश पुत्र बनवारी।
87 राकेश पुत्र बनवारी।
88 बिमला पुत्री बनवारी।
89 गीता पत्नी बनवारी समस्त जाति जाट निवासीगण कलोद खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू।
90 सुभाष पुत्र गणपत।
91 शान्ति पत्नी रामसिंह।
92 राकेश पुत्र रामसिंह।
93 संदीप पुत्र रामसिंह।
94 चन्द्रकला पुत्री रामसिंह।
95 मोटा पुत्री रामसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

96 सरोज पुत्री रामसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

97/1 रामसिंह पुत्र मानसिंह।

97/2 रघुवीर पुत्र मानसिंह।

97/3 हरिराम पुत्र मानसिंह।

97/4 किताब पुत्री मानसिंह।

97/5 शान्ति पुत्री मानसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

98 सरबती पुत्री गणपत।

99 पतासी पुत्री गणपत।

100 बनारसी पुत्री गणपत।

101 सुरेन्द्र पुत्र छल्लु।

102 सुबेसिंह पुत्र छल्लु।

103 धुपसिंह पुत्र शेरसिंह।

104 कपिल पुत्र शेरसिंह।

105 अनिल पुत्र शेरसिंह।

106 सुनिता पुत्री शेरसिंह।

107 इन्द्रा पत्नी शेरसिंह।

108 समली पत्नी छल्लु।

109 रोतिहाश पुत्र गुरूदयाल।

110 अमरसिंह पुत्र गुरूदयाल।

111 हवासिंह पुत्र गुरूदयाल।

112 पतासी पुत्री गुरूदयाल।

113 रेवती पुत्री गुरूदयाल।

114 शकुन्तला पुत्री गुरूदयाल।

115 बदामी पत्नी गुरूदयाल।

116 कमला पुत्री गुरूदयाल समस्त जाति जाट निवासीगण भुकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

117 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दिनांक 17.01.2023 बमुकदमा उनवानी सागर आदि बनाम इन्द्राज आदि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सीपीसी मुकदमा नम्बर 105/2022

उपस्थिति :

1. श्री सन्दीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नं. 3 लगायत 117 के खिलाफ दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में पेश किया जिसमें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

दिनांक 18.07.2022 को भूमि खसरा नम्बर 610 रकबा 0.1200 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ते के बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने निर्णय दिनांक 17.01.2023 से अपीलान्टस/अनावेदकगण नं. 2 से 8 व 14 व 18 आदि के खिलाफ दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के इस निर्णय दिनांक 17.01.2023 को अपास्त करवान के लिये अपीलान्टस/अनावेदकगण नं. 2 से 8 व 14 व 18 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिये निम्न तीन बिन्दु कायम कर उन पर प्रत्येक पर अलग अलग युक्ति युक्त आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। 1 प्राइमा फेशी केश, 2 सुविधा सन्तुलन, 3 अपार क्षति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने प्रकरण के निस्तारण के लिये उक्त बिन्दु कायम नहीं किये और न ही इस बाबत निर्णय पारित किया गया। इस कारण निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तय करने के लिये निर्णय में युक्ति युक्त आधार दर्ज कर यह तय किया जाना चाहिये था कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2/आवेदकगण का प्राईमा फेसी केश कैसे है व इनके हक में सुविधा सन्तुलन व अपार क्षति के बिन्दु कैसे है। अनावेदकगण में अनावेदकगण नं. 25 व 26 मुकदमा दायर करने से पहले ही खत्म हो गये थे। अनावेदक नं. 26 यण पुत्र मोहन गलत दर्ज है। बल्कि यण की जगह हरनारायण दर्ज होना चाहिये व उसके वारिसान पहले से पक्षकार है। अनावेदिका नं. 25 भगवानी के वारीसान भी पक्षकार है। अनावेदक नं. 69 गुरूदयाल मुकदमें से पहले ही खत्म हो गया व उसके वारीसान भी पक्षकार है। अदालत मातहत में अनावेदक नं. 86 श्योनारायण का देहान्त मुकदमे से पहले ही हो गया था व उसके पुत्रगण सुलतान व बीरबल का भी देहान्त हो गया व इनके वारीसान रेस्पोडेन्ट नं. 76/1 से 76/7 है। अदालत मातहत में विचाराधीन आवेदन पत्र में अनावेदक नं. 107 रजवण का देहान्त मुकदमें से पहले ही हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

गया व इसके वारीसान को रेस्पोडेन्ट नं. 97/1 से 97/5 बनाया गया है। मृतक व्यक्तियों पर दुरभावना पूर्वक गलत दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं. व 2/आवेदकगण का कथन सदभावना पूर्वक नहीं है। रास्ते की जमीन में खातेदारी पैदा नहीं होती व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की जमीन में खातेदारी पैदा होती भी नहीं है। गैर मुमकीन कुआ जोत की परिधि में नहीं आता। कुआ जोत की परिधि में उसी सुरत में आता है जब कुआ कृषि भूमि में है व उससे कृषि भूमि की सिंचाई होती हो। अगर कुआ जोत की परिभाष में नहीं आता तो कुआ गैर मुमकीन चाह के लिय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 92ए व धारा 188 के तहत दावा नहीं लाया जा सकता व दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानून से प्रतिबन्धित है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 256 के तहत प्रतिबन्धित होने से खारिज होने योग्य है व इस प्रकार के प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.01.2023 को पारित करने के लिये कोई भी विवेचन नहीं किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व दावा में यह दर्ज नहीं किया गया कि रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2 को सहखातेदारी कब व कैसी मिली। जहां तक प्रश्न खसरा नम्बर 610 या 611 का है जो राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन का अधिकार अपीलान्ट का नहीं है। इस प्रकार आवेदन पत्र व जबाब का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित करने में भूल की है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में रास्ते की चौड़ाई का अंकन नहीं किया गया। प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार या नक्शा ट्रेस में भी रास्ते की चौड़ाई नहीं देखी गयी। इस प्रकार आदेश बिना अवलोकन के अभिवचन के बार होने से खारीज होने योग्य है। दावे व प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस को सह खातेदार होने का कथन किया है उनके कथन के अनुसार विभाजन का दावा व होने से भी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

आरएलडब्ल्यू 2007(4) (एचसी) पेज 2900, आरआरडी 1994 पेज 19, आरआरटी 2010(2)(एचसी) पेज 1207, डीएनजे 2023(2) रेव. पेज 1162, डीएनजे 2023(2) रेव पेज 1224 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य गैर मुमकीन रास्ते की भूमि के हक अधिकार निर्धारण का वाद लम्बित है। इस वाद का निस्तारण साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व मौके पर अवस्थित गैर मुमकीन रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विचाराधीन निर्णय से पारित की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचाराधीन निर्णय से किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण सागर, शीशराम ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की जमीन हाल खसरा नम्बर 611 गैर मुमकिन कुंआ वांके मौजा भूकाना में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले तथा इस जमीन से जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करे तथा उक्त अवैध राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 611 के किसी भाग की जमीन को जबरन लठ के बल पर भूमि खसरा नम्बर 610 गैर मुमकिन रास्ता में नहीं मिलावें तथा विवादित जमीन खसरा नम्बर 610 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 611 गैर मुमकिन कुंआ के मौका व रिकार्ड की तादौराने दावा यथास्थिति बनाये रखे। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करते समय अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को निस्तारण करने के लिए निर्धारित तीन घटक प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित आदेशिका में विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पारित कर उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 610 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता मौजा ग्राम भूकाना के मौके पर स्थित रास्त के आवागमन को अवरूद्ध नहीं करने एवं रास्ते को सूचारू रूप से चालू रखने तथा शेष भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 610 रकबा 0.12 हैक्टेयर के संदर्भ में किसी भी पक्षकार को रास्ता अवरूद्ध करने, रोकने, रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का विधिक अधिकार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ता निर्बाध रूप से आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड दर्ज चौड़ाई अनुसार मौके पर चालु रहना चाहिए। इसके संदर्भ में किसी प्रकार का प्रतिकुल स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तीन घटकों का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन घटकों पर विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 610 पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं रहेगा अर्थात् रास्ते के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध नहीं रहेगा। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर